भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1847

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

लैंगिक अपराधों के पीड़ितों की देखभाल और सहायता

1847. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए कोई योजना अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना अपने वर्तमान स्वरूप में अप्रभावी है तथा इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो हाल ही में अधिसूचित पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत पीड़ितों की देखभाल और सहायता योजना में किन मुद्दों को नोट किया गया है; और

(ङ.) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) :महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए निर्भया कोष से "**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो)** अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखभाल और सहायता योजना" नामक केंद्र वित्त पोषित योजना शुरू की है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना;

ii. दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए उनकी विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच को सुविधाजनक बनाना:
   - शिक्षा तक पहुंच,
   - पुलिस सहायता,
   - चिकित्सा (जिसमें मातृत्व, नवजात और शिशु देखभाल भी शामिल है),
   - मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श,
   - कानूनी सहायता,
   - गैर-संस्थागत देखभाल सहायता, बाल देखभाल संस्थानों/पश्चात देखभाल सुविधाओं में रहने का स्थान, और
   - पीड़ित बालिकाओं और उनके नवजात शिशु के लिए एक ही स्थान पर स्वास्थ्य बीमा कवर ताकि ऐसी पीड़ित बालिकाओं को न्याय प्राप्त हो सके।

(ग) और (घ): इस योजना के वर्तमान स्वरूप में कोई निष्प्रभाविता नहीं है।

*****